कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 28.01.2024

विषयः-तीन युवकों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने वाला शातिर अपराधी थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा कमिश्नरेट में आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं अपराधियों पर कठोर कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु दिए गए आदेशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी एवं सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी लंका के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28.01.2025 को लौटूबीर पुलिया के पास खाली स्थान से वांछित अभियुक्त रतन पुत्र रामजीवन निवासी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास फुटपाथ में थाना लंका कमि0 वाराणसी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू बरामद हुआ। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना विवरणः-

दिनांक 27.01.2025 को आवेदक द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित शिकायत की गयी कि एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से उसपर व अन्य दो लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया है जिससे कुल तीन लोगों को चोट आयी है। प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराते हुए अभियुक्त की शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस बल को रवाना किया गया। दबिश व तलाश के क्रम में अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए पकड़े गए अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू बरामद किया गया।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त पूछताछ में बता रहा है कि साहब मनोज मेरा दूर का रिश्तेदार है, जब कभी मेरा व मेरी पत्नी की आपस में नोकझोक होती थी तो मनोज व उसके परिवार वाले बीच बचाव करने लगते थे तथा बात बात में पुलिस को बुलाने की धमकी देते थे। इसी रंजिश को लेकर मैने मौका देखकर मनोज व उसके परिवार के सदस्यों पर चाकू से हमला कर दिया। साहब मुझसे गलती हो गयी, मुझे माफ करें।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-

1. रतन पुत्र रामजीवन निवासी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास फुटपाथ में थाना लंका कमि0 वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक गिरफ्तारी 28.01.2025 को लौटूबीर पुलिया के पास खाली स्थान से, थाना क्षेत्र लंका, कमि0 वाराणसी।

<u>विवरण बरामदगी-</u>

<u>अभियुक्त के कब्जे से</u>

1. घटना में प्रयुक्त खून लगा हुआ चाकू बरामद।

<u>पंजीकृत अभियोगों का विवरण/आपराधिक इतिहास</u> -

1. मु0अ0सं0 0031/2025 धारा 109(1)/351(3)/352 बीएनएस व 4/ 25 आर्म्स एक्ट थाना लंका, कमि0 वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 0140/2020 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना जीआरपी दीनदयाल उपाध्याय, चन्दौली।
3. मु0अ0सं0 0163/2020 धारा 8/22 NDPS ACT थाना जीआरपी दीनदयाल उपाध्याय, चन्दौली।
4. मु0अ0सं0 0202/2019 धारा 380/411भा0द0वि0 थाना जीआरपी दीनदयाल उपाध्याय, चन्दौली।
5. मु0अ0सं0 0244/2019 धारा 380/411भा0द0वि0 थाना जीआरपी दीनदयाल उपाध्याय, चन्दौली।
6. मु0अ0सं0 0251/2019 धारा 8/22 NDPS ACT थाना जीआरपी दीनदयाल उपाध्याय, चन्दौली।
7. मु0अ0सं0 0351/2016 धारा 411/413/414 भा0द0वि0 थाना जीआरपी दीनदयाल उपाध्याय, चन्दौली।
8. मु0अ0सं0 0352/2016 धारा 401 भा0द0वि0 थाना जीआरपी दीनदयाल उपाध्याय, चन्दौली।
9. मु0अ0सं0 0550/2016 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना जीआरपी दीनदयाल उपाध्याय, चन्दौली।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम</u>

1. प्रभारी निरीक्षक शिवाकान्त मिश्र, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 अपराजित सिंह चौहान, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 स्वप्निल सिंह, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. आरक्षी विजय कुमार शुक्ला, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
5. आरक्षी उमेश कुमार गुप्ता, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त कार्यालय
जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी